ई–मेल / प्राथमिकता

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–3–त0ना0त0,
लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
2–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतम बुद्ध नगर।
3–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा गौतमबुद्धनगर।
4–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।
5–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा लखनऊ।
6–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, झॉसी।
7–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर।
8–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
9–निदेशक, राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई।
10–अध्यक्ष, प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज।
11–उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
12–उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
13–उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज ।
14–निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
15–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।

संख्या– 928 /3–त0ना0त0–02एन0टी0/2026–27 **दिनांक 08 – 05–2026**

विषय– स्थानान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–2/2026/93/सामान्य/सैंतालीस–का–2026–1/3/96 दिनांक 05.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2026–27 के अन्तर्गत समूह–'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त परिषद द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026–27 में तहसीलदार/नायब तहसीलदार के स्थानान्तरण हेतु परिषद की वेबसाईट **bor.up.nic.in** के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था हो जाने पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार संवर्ग के अधिकारी शीघ्र ही आवेदन कर सकेंगे। **स्थानान्तरण हेतु ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त आवेदनों को ही संज्ञान में लिया जायेगा। अतएव जिन तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों द्वारा ऑफलाईन आवेदन परिषद को प्रस्तुत किये जा चुके है, उनके द्वारा भी ऑनलाईन आवेदन किया जाना होगा।** स्थानान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम **तिथि 19.05.2026** होगी एवं उसमें संशोधन/आवेदन वापस लिये जाने की **तिथि 20.05.2026 से 22.05.2026** तक होगी।

3– यह भी स्पष्ट करना है कि प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों में प्रस्तुत विकल्पों पर यथासंभव स्थानान्तरण/तैनाती विचार किया जायेगा, परन्तु आवेदित विकल्पों पर स्थानान्तरण/तैनाती आवेदक का अधिकार नहीं होगा। स्थानान्तरण नीति 2026–27 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में विद्यमान स्थितियों एवं

प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत परिषद स्तर से तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों के स्थानान्तरण/नवीन तैनाती के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

4— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद में तैनात/नियंत्रणाधीन तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को उक्तानुसार अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांकः यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2— प्रभारी अधिकारी, अनुभाग—01, राजस्व परिषद, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित तहसीलदार को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

3— समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा संबंधित जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(कंचन वर्मा)
आयुक्त एवं सचिव।